दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) सं. 361/2014 एवं सि.वि. सं. 713-714/2014

निर्णय सुरक्षित: 21 जनवरी, 2014

निर्णय उद्घोषित: 29 जनवरी, 2014

प्रिंस गर्ग .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री एम.के. भारद्वाज, अधिवक्ता

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: कोई नहीं

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

दीपा शर्मा न्या.,

सि.वि. सं. 714/2014 (छूट हेतु)

छूट की अनुमति केवल अपवादों के अधीन है।

आवेदन का निपटान कर दिया गया है।

रि.या. (सि.) सं. 361/2014 एवं सि.वि. सं. 713/2014 (रोक हेतु)

1. याचिकाकर्ता को दिनांक 19 जनवरी, 1990 को प्रदूषण स्तर परीक्षण निरीक्षक ('पीएलटीआई') के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थीगण ने मोटर वाहन निरीक्षक ('एमवीआई') के अलग कैडर में नियुक्तियां कीं। याचिकाकर्ता का तर्क था कि एमवीआई के कैडर में नियुक्त सभी लोगों को मोटर लाइसेंसिंग अधिकारी ('एमएलओ') के उच्च पद पर पदोन्नत किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता अभी भी पीएलटीआई के रूप में कार्यरत है।

2. याचिकाकर्ता ने दिनांक 21 दिसंबर, 2010 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें पीएलटीआई कैडर तथा एमवीआई कैडर के विलय का अनुरोध किया गया था। उन्होंने पहले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ('कैट') के समक्ष एक मू.अ. सं. 2120/2012 दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें पिछले 25 वर्षों से पदोन्नति नहीं मिली है, क्योंकि वे पीएलटीआई कैडर का हिस्सा थे, जबकि एमवीआई/डीटीआई/आरएसआई कैडर के निरीक्षकों को तीसरी पदोन्नति मिली है। विद्वान न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 29 जून, 2012 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता के दिनांक 21 दिसंबर, 2010 के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ उक्त आवेदन का निपटान किया गया था।

3. प्रत्यर्थीगण द्वारा पारित दिनांक 27 जुलाई, 2012 के आदेशानुसार, याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निपटान कर दिया गया, जिसके तहत दो संवर्गों के विलय के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता को दिनांक 30 जुलाई, 2012 के आदेशानुसार उसे पद से मुक्त कर दिया गया, जिसमें

टैक्सी यूनिट, बुराड़ी में ड्यूटी हेतु रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता ने इन दोनों आदेशों को विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष मू.अ. सं. 2519/2012 में चुनौती दी। विद्वान न्यायाधिकरण ने दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 को अपना आदेश पारित किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

4. याचिकाकर्ता ने हमारे समक्ष विद्वान न्यायाधिकरण के उक्त आदेश पर इस आधार पर आपत्ति जताई है कि न्यायाधिकरण ने उक्त आदेश पारित करते हुए विधि की गंभीर त्रुटि की है क्योंकि उसने ***दिल्ली के उपराज्यपाल बनाम उप.नि. रूप लाल*** **एआईआर 2000 एससी 594** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि पर विचार नहीं किया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायाधिकरण को समन्वय न्यायपीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का पालन करना आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान न्यायाधिकरण की खंड न्यायपीठ ने न केवल एक बल्कि दो निर्णयों अर्थात् मू.अ. सं. 2491/2008 एवं 1427/1995 में अभिनिर्धारित किया कि कैडर से बाहर किसी अन्य विंग में स्थानांतरण विधि की दृष्टि से गलत है क्योंकि यह सेवा की शर्तों का उल्लंघन है।

5. यह भी प्रतिविरोध किया गया है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने सभी विवाद्यकों पर उचित तरीके से विचार नहीं किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि टैक्सी यूनिट, बुराड़ी में उनकी पोस्टिंग कैडर परिवर्तन के बराबर है। यह भी

प्रस्तुत किया गया है कि मार्च, 1997 में वि.अनु.या. सं. 22909/1996 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर विचार नहीं किया गया था एवं आदेश को अपास्त किया जाने योग्य है। दिनांक 27 जुलाई, 2012 तथा दिनांक 30 जुलाई, 2012 के आदेशों को अभिखंडित करने का भी अनुरोध किया गया है।

6. वैकल्पिक रूप से, यह प्रार्थना की गई है कि एक दूसरे से स्वतंत्र दो कैडर के विलय से इनकार करने की स्थिति में, याचिकाकर्ता को प्रदूषण नियंत्रण शाखा (पीसीबी) से स्थानांतरित न किया जाए क्योंकि यह एमवीआई बेंच के कनिष्ठ अधिकारियों के अधीन काम करने के समान होगा।

7. हमने याचिकाकर्ता को सुना है एवं अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विवाद्यक इस प्रकार हैं:

(क) क्या पीएलटीआई एवं एमवीआई कैडर को एक में विलय करने के लिए दिनांक 21 दिसंबर, 2010 के अभ्यावेदन को दिनांक 27 जुलाई, 2012 के आदेश के तहत अस्वीकार करना अनुचित है?

(ख) क्या दिनांक 30 जुलाई, 2012 के आदेश के तहत टैक्सी यूनिट, बुराड़ी में उनका स्थानांतरण उन्हें अपने कनिष्ठों के अधीन काम करने के लिए मजबूर करने के समान है।

9. याचिकाकर्ता ने दिनांक 27 जुलाई, 2012 एवं दिनांक 30 जुलाई, 2012 के आदेशों को विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी थी एवं वही तर्क दिए थे, जो हमारे समक्ष उठाए गए हैं। पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने तथा मामले की तथ्यात्मक स्थिति पर भरोसा करते हुए, न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

> "8. आवेदक के तथ्यात्मक प्रतिविरोधों का प्रत्यर्थीगण द्वारा खंडन भी किया गया है। अपने संक्षिप्त उत्तर में, दोनों कैडर अलग-अलग होने की पुष्टि करते हुए; आवेदक के मोटर लाइसेंसिंग अधिकारी से वरिष्ठ होने के दावे का खंडन किया गया है। यह कहा गया है कि आवेदक का यह प्रतिविरोध है कि वह मोटर लाइसेंसिंग अधिकारी से वरिष्ठ है, केवल इसलिए नहीं है क्योंकि वह पहले शामिल हुये हैं। इस बात को और पुष्ट करने के लिए, पीएलटीआई का पद एक गैर-राजपत्रित पद है जिसका वेतनमान कम है और मोटर लाइसेंसिंग अधिकारी का पद एक ग्रुप 'बी' राजपत्रित पद है जिसका वेतनमान अधिक है, यह भी कहा गया है।
>
> यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक 10 वर्षों से अधिक समय से मौजूदा पद पर कार्यरत था। टैक्सी यूनिट, बुराड़ी में तत्काल स्थानांतरण को जनहित में बताया गया है। यह भी कहा गया है कि टैक्सी यूनिट, बुराड़ी द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में से प्रदूषण की जांच भी एक है। प्राधिकारी के निर्देशों की घोर अवहेलना करते हुए आवेदक द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के बावजूद अपने नए पद पर कार्यभार ग्रहण न करने का तथ्य भी प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

9. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आरोपित स्थानांतरण के विरुद्ध उठाए गए विशिष्ट पहलुओं के संबंध में, प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 25.9.2012 के अपने अतिरिक्त शपथपत्र में कुछ अभिवचन दिये हैं। स्वीकृत पद की उपलब्धता के मामले में, यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान में विभाग के अंतर्गत प्रदूषण स्तर परीक्षण निरीक्षक के कुल 38 पद हैं। बिना किसी यूनिट-वाइज़ विभाजन के, आवेदक की पोस्टिंग पीएलटीआई के स्वीकृत पद के बाहर बताई गई है। प्रत्यर्थीगण ने दोहराया है कि टैक्सी यूनिट, बुराड़ी में उसके स्थानांतरण की स्थिति में भी, आवेदक अपने कैडर में ही पीएलटीआई के रूप में काम करेगा और कैडर में कोई बदलाव नहीं होगा। कार्य की प्रकृति के संबंध में, प्रत्यर्थीगण ने प्रस्तुत किया है कि "आवेदक की आपत्तियों पर विचार करते हुए, टैक्सी यूनिट को विशेष निर्देश जारी किए जा सकते हैं कि आवेदक से केवल प्रदूषण संबंधी कार्य ही लिया जाए"। उनका यह रुख दोहराया गया है कि उसके स्थानांतरण के कारण, आवेदक को किसी कनिष्ठ अधिकारी के अधीन काम नहीं करना पड़ेगा।"

न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता के दोनों प्रस्तुतीकरणों पर ध्यानपूर्वक विचार किया तथा अस्वीकृति के लिए ठोस कारण दिये गये।

10. याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए ***उप.नि. रूप लाल (पूर्वोक्त)*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इस मामले में कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि उस मामले में निष्कर्ष पूरी तरह से अलग तथ्यों पर आधारित हैं।

11. उपरोक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली के आक्षेपित आदेश में कोई कमी नहीं है। विद्वान

न्यायाधिकरण के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। वर्तमान रिट याचिका को जुर्माने के बारे में कोई आदेश दिए बिना खारिज किया जाता है। स्थगन आवेदन का भी निपटान किया जाता है।

दीपा शर्मा, न्या.

गीता मित्तल, न्या.

29 जनवरी, 2014
आरबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*